


२३/१२
२०

Revu.



उपखण्ड अधिकारी

अ. क. अ. क.

आज पट पत्रावली दिनांक २॥१२० को प्रहुर
पत्रावली के क्रम में वारी के उपलब्ध होने पर
पेशी में ली गई वारी राजू उर्फ राजीव ने
पत्रावली इस आधार पर प्रेषित किया कि वारी एवं
प्रतिकीर्ण का पंथ पैचापट की समझौते से एवं
लोक अदालत की प्रेरणा से रावीनामा होगा है
लिए वारी उक्त पत्र में आधार कार्यालय नहीं
काग-चाहता व मौजूदा लेख पर वारी के दायित्व
द्वारा अज्ञान-चाहता है। पत्रावली के पत्रावली के
आधार पर वारी-वारी इसी तरह पर खंडित किया
आता है। पत्रावली निम्नानुसार दायित्व दायित्व
है नखर ले कर हो।

(पवन कुमार)
उपखण्ड अधिकारी
अनूपगढ़